कर्मचारियों के लिए कितने सरकारी क्वार्टर बनाए तथा उन्हें कितने क्वार्टर अलाट किये गये ; और

(ख) इस समय विभिन्न श्रेणियों के कितने क्वार्टर निर्माणाधीन हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) नई दिल्ली, बम्बई, मद्रास, नागपुर तथा चण्डीगढ़ में सामान्य पूल में विभिन्न टाईपों के 2993 क्वार्टरों का निर्माण किया गया है तथा 2977 क्वार्टरों का आवंटन किया गया है। कलकत्ते के सम्बन्ध में सूचना मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) नई दिल्ली, बम्बई, मद्रास, चण्डीगढ़ तथा बंगलौर में विभिन्न टाईपों के 3829 क्वार्टर निर्माणाधीन हैं। इनके अतिरिक्त नई दिल्ली में दो-कमरों वाले 64 तथा एक-कमरे वाले बहु—मंजिलें 128 एपार्टमेंट भी निर्माणाधीन हैं। कलकत्ता के सम्बन्ध में सूचना मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**गो-वध के बारे में राज्यों को केन्द्र का परामर्श तथा इस बारे में राज्यों के विचार**

2077. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गोवध बन्द करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई परामर्श दिया है ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इस बीच राज्य सरकारों के विचार प्राप्त हो गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० शेर सिंह) : (क) जी, हां। जिन राज्यों ने गो-वध आंशिक रूप से निषेध कर दिया है, उनको यह सलाह दे दी गई है कि वे इस वर्तमान कानून के क्षेत्र को व्यापक बनायें और जिन राज्यों ने गो-वध निषेध नहीं किया है उनको संविधान के अनुच्छेद 48 में विहित निदेशी सिद्धान्तों की अनुरूपता में, गोवध निषेध करने के लिये उचित कानून बनाने की सलाह दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची II की मद 15 के अन्तर्गत पशुधन के संरक्षण, सुरक्षा और सुधार सम्बन्धी विषय, राज्य विषय है और इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 246 (3) के अन्तर्गत राज्य विधान सभाओं को गोवध से सम्बन्धित कानून बनाने का एकमात्र अधिकार है। केन्द्रीय सरकार द्वारा एक गो रक्षा समिति का गठन किया गया है जो गो और गोवंश के वध पर पूर्ण प्रतिबन्ध सहित, गो सुरक्षा के प्रश्न पर विचार करेगी और इस विषय से सम्बन्धित समस्त पहलुओं, अर्थात् सांविधानिक विधिक आर्थिक और अन्य सुसंगत पहलुओं पर विचार करके गायों, बछड़ों सांड़ों और बैलों के संरक्षण के लिये समुचित व्यावहारिक उपाय करने के लिये विचारार्थ सरकार को सिफारिश करेगी। यह समिति संविधान के अनुच्छेद 48 के उपबन्धों को प्रभाव साधक रूप में कार्यान्वित करने के लिये साधनों का सुझाव देगी और किसी भी ऐसे सुझाव पर विचार करेगी जिसमें गो और गोवंश पर पूर्ण रोक लगाने के लिये संविधान में परिवर्तन करने का सुझाव दिया होगा।

केन्द्रीय सरकार, समिति की रिपोर्ट जिसकी 31 मार्च, 1973 तक प्राप्त हो जाने की आशा है, प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्णय करेगी।

**Age Limit for Sterilisation**

2078. **SHRI PAMPAN GOWDA :**
**SHRI C. K. JAFFER SHARIEF :**

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) whether Government have fixed any age limit for sterilisation ; and

(b) if so, the age so fixed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA) : (a) and (b). Yes. In case of women the upper age limit for sterilization has been fixed at 45 years. In case of men, those above 50 years are not generally accepted for the operation.

**Establishment of Cashew Research Institution**

2079. SHRI PAMPAN GOWDA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to establish a Cashew Research Institution in the country ; and

(b) if so, the main features thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) No Sir, there is no proposal at present under the consideration of the Government of India to establish a separate Cashew Research Institution in the country Some time ago a proposal to establish a Research Institute in Kerala for research on Cashew nut shell liquid was received in the Ministry of Foreign Trade, but they have not found it feasible to agree to the proposal so far.

The I. C A R. has already established a Central Plantation Crops Research Institute with its headquarters at Kasaragod in Kerala State which deals with research on cashew as well as other Plantation Crops. This Institute is likely to be further strengthened during this plan *inter alia* for undertaking intensive research on cashew cultivation and processing.

(b) Does not arise.

**बिहार में भू-दान में मिली भूमि**

2080. श्री एम० एस० पुरती : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूदान यज्ञ समिति को बिहार में अब तक कितनी भूमि दान में मिली है और इसमें से कितनी खेती योग्य तथा कितनी खेती योग्य नहीं है ;

(ख) क्या इसमें ऐसी भूमि भी है जिसका कब्जा दान दिये जाने के बाद भी अब तक नहीं मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी और कब्जा न मिलने के क्या कारण हैं और सरकार ने कब्जा लेने के लिए क्या प्रयास किये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**बिहार की सहकारी समितियों द्वारा देय बकाया राशियां**

2081. श्री एम० एस० पुरती : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की सहकारी समिति के जिम्मे 14 करोड़ रुपये बकाया है ;

(ख) क्या 7 करोड़ रुपये का कोई हिसाब ही नहीं मिल पा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है ।

**देश में हरिजनों तथा आदिवासियों को आवास सुविधायें**

2082. श्री एम० एस० पुरती : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में कितने हरिजनों तथा आदिवासियों को आवास सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं तथा सरकार इस समस्या का कब तक समाधान कर सकेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० राधारमणी) : इस देश में ऐसे हरिजनों तथा आदिवासियों की संख्या बताना सम्भव नहीं है, जिनके पास मकान नहीं हैं । तो भी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं कि पिछड़े वर्ग क्षेत्र तथा साधारण क्षेत्र में की गई व्यवस्थाओं